न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर)डीग(भरतपुर) राज0

व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मु0सं0 257/2012 राजस्व वाद

1. मानसिंह
2. नीरज
3. सोनू पिस0 अतरसिंह
4. श्रीमती सरोज देवी पत्नी अमरसिंह
5. प्रतापसिंह पुत्र मोहनलाल (मृतक)

5/1– महेन्द्रसिंह

5/2– बबलू पिस0 प्रतापसिंह

5/3– चन्दवती बेवा प्रतापसिंह जातियान जाट नि0 ग्राम नरैना कटला तहसील डीग

5/4– राधादेवी पुत्री प्रतापसिंह पत्नी योगेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम ककुआ जिला आगरा (उ0प्र0)

5/5– रखादेवी पुत्री प्रतापसिंह पत्नी जीतेन्द्र निवासी फतेहपुर सीकरी तहसील किरावली जिला आगरा (उ0प्र0)

6. रघुनाथ
7. लोकश पिस0 लक्ष्मन
8. श्रीमती किन्नो बेवा लक्ष्मन
9. जल सिंह
10. किशनसिंह पिस0 चेतन सिंह जातियान जाट निवासी नरैना कटला तहसील डीग

–वादीगण

बनाम

1. हरी
2. बिजेन्द पिस0 छीतरिया
3. मेदी पुत्र सुन्दर
4. बलवीरी पत्नी लक्ष्मन (मृतक)

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

5. भीमसिंह पुत्र लक्ष्मन

6. रम्नो पुत्र लक्ष्मन जातियान फौजदार निवासी ग्राम बंधाचौथ तहसील डीग

—असल प्रतिवादीगण

7. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तहसील डीग प्रतिनिधि राजस्थान सरकार

8. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डीग जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय

9. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा डीग जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय

दावा बावत् उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 07.02.2018

वादीगण ने यह वाद दावा बावत् उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 343/2.13 बाकै ग्राम बंधा चौथ तहसील डीग जो साबिक आराजी ख0नं0 420/19–3 बाकै ग्राम बंधा चौथ तहसील डीग पूर्व में प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण सं0 3 के पिता मृतक सुन्दर तथा प्रतिवादीगण सं0 4 के पति व प्रतिवादीगण सं0 5 व 6 के पिता लक्ष्मन पुत्रगण छीतरिया के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिस पर उक्त हरी, बिजेन्द्र, सुन्दर व लक्ष्मन पुत्रगण छीतरिया का व0हि0ब0 कब्जा बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा था। दिनांक 08.02.1979 को उक्त हरी, लक्ष्मन, सुन्दर व बिजेन्द्र पिस0 छीतरिया ने उक्त साबिक ख0नं0 420 में से हिस्सा 85/383 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा को वादीगण सं0 1 लगायत 4 के पिता एवं पति अतरसिंह पुत्र मोहनलाल तथा वादी सं0 5 प्रतापसिंह तथा वादीगण सं0 6 लगायत 8 के पिता व पति लक्ष्मन पुत्र मोहनलाल तीनों भाईयों को हिस्सा 3/4 व0हि0ब0 तथा वादीगण सं0 9 व 10 को हिस्सा 1/4 विक्रय कर दिया। मौके पर दखल व कब्जा क्रेतागण को दे दिया और तभी से अर्थात् क्रय करने के बाद से ही उक्त साबिक नं0 420 में से हिस्सा 85/383 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा पर वादी सं0 5 स्वयं तथा वादीगण सं0 1 लगायत 4 के पिता एवं पति अतरसिंह तथा वादीगण सं0 6 लगायत 8 के पिता एवं पति लक्ष्मन का कब्जा हिस्सा 3/4 पर चला आ रहा था तथा हिस्सा 1/4 पर वादी सं0 9 व 10 का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण सं0 1 लगायत 4 के पिता एवं पति अतरसिंह पुत्र मोहनलाल व वादी सं0 6 लगायत 8 के पिता एवं पति

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

लक्ष्मन पुत्र मोहनलाल की मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु के बाद से उक्त आराजी के हिस्सा 1/4 पर वादीगण सं0 1 लगायत 4 का तथा हिस्सा 1/4 पर वादी सं0 5 का तथा हिस्सा 1/4 पर वादीगण सं0 6 लगायत 8 का तथा हिस्सा 1/4 पर वादीगण स0 9 व 10 का कब्जा चला आ रहा है तथा इस वक्त मौके पर भी है। हाल बन्दोबस्त में साबिक आराजी ख0नं0 420/19–3 के बदले में दो नवीन नम्बरान 243/2.13 व 344/0.97 बाकै ग्राम बंधाचौथ तहसील डीग बनाये गये हैं जिनमें नवीन विवादित नं0 343/2.13 में वादीगण द्वारा क्रय की गई व कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी हिस्सा 85/313 अर्थात रकबा 4 बीघा 5 विस्वा जिसकी नवीन पैमाईश में आराजी 0.68 हैक्टे0 होती है, शामिल है। जिस पर मुताबिक साबिक वादीगण का कब्जा बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है तथा इस वक्त मौके पर भी विवादित ख0नं0 343/2.13 के रकबा हिस्सा 0.68 हैक्टे0 अर्थात् हिस्सा 68/213 पर वादीगण का ही कब्जा बतौर खातेदार काश्तकार है तथा बन्दोबस्त हाल में विवादित नं0 343/2.13 में से रकबा हिस्सा 68/213 का इन्द्राज काश्त वादीगण के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकित आना चाहिए था लेकिन कतई गलत तरीके पर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून व खिलाफ साबिक रिकॉर्ड वादीगण द्वारा क्रय की गई आराजी को प्रतिवादीगण के ही नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया है जबकि दौराने बन्दोबस्त, बन्दोबस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को ऐसा करने का कोई अधिकार किसी प्रकार से मुताबिक कानून नहीं था, इसलिए वादीगण बंदोबस्त हाल में किये गये इस गलत इन्द्राज काश्त वहक प्रतिवादीगण बावत् विवादित भूमि को सही व दुरुस्त करा पाने के अधिकारी हैं तथा वादीगण अपने आको विवादित आराजी ख0नं0 343/2.13 के रकबा 0.68 हैक्टे0 अर्थात् हिस्सा 68/213 के खातेदार काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करा पाने के अधिकारी हैं। राजस्व रिकॉर्ड में जो इन्द्राज काश्त वहक प्रतिवादीगण असल बावत् विवादित आराजी जो अंकित किया जा रहा है वह कतई गलत, खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है। प्रतिवादीगण असल विवादित आराजी के कब्जे काश्त वादीगण में जबरन मजाहमत व मदाखलत कर कब्जा नाजायज कर लेना चाहते हैं तथा विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन–बय–मुन्तकिल कर देना चाहते हैं।

अतः विवादित आराजी ख0नं0 343/2.13 बाकै ग्राम बधा चौथ के रकबा हिस्सा 68/213 अर्थात् 0.68 हैक्टे0 के हिस्सा 1/4 के हिस्सा वादीगण सं0 1 लगायत 4 व0हि0ब0 तथा हिस्सा 1/4 का वादी सं0 5 तथा हिस्सा 1/4 के वादीगण सं0 6 लगायत

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

6 व0हि0व0 तथा 1/4 के वादीगण सं0 9 व 10 का व0हि0व0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा हाल रिकॉर्ड में इन्द्राज प्रतिवादीगण को कलमजन किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन–बय–मुन्तकिल न करें तथा कब्जेकाश्त वादीगण में मजाहमत व मदाखलत न करें।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को दावा जवाबदेही के लिए जरिये समन तलब किया गया। दौराने दावा सुनवाई वादी सं0 5 की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान 5/1 लगायत 5/5 को बतौर वादीगण पक्षकार बनाये गये। प्रतिवादीगण सं0 1,2,3,5 व 6 ने उपस्थिति अदालत आकर इस आशय का जवाब पेश किया कि वादीगण द्वारा फर्जी बयनामा के आधार पर दावा पेश किया है जिसके आधार पर वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। बयनामा सही होता तो वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में होता। बन्दोबस्त कार्यवाही सन् 1985 में पूरी हो चुकी है जिसके पर्चा, लगान तथा कच्ची पर्ची व पक्की पर्ची जारी हो गई जिसकी जानकारी वादीगण को थी जिसको 28 वर्ष हो चुके हैं। दावा विलम्ब से पेश किया जाना प्रकट है। बयनामा के आधार पर वादीगण के पूर्वजों को नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होना बन्दोबस्त अधिकारियों की गलती बताना दोषपूर्ण कथन है। उक्त विवादित आराजी का राजस्व लगान प्रतिवादीगण द्वारा अदा किया गया है। वादीगण व उनके पूर्वजों द्वारा लगान अदा नहीं किया गया है। उक्त आराजी पर किसान कार्ड प्रतिवादीगण द्वारा लिया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर स्वत्व आधिपत्य प्रतिवादीगण का है, वादीगण का नहीं है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 7 तहसीलदार डीग को नोटिस हस्व दफा 80 जा0दी0 दावा दायरी से पूर्व नहीं दिया है, इसलिए दावा वादीगण मेन्टिनेबिल नहीं है एवं दावा वादीगण नॉन जोइन्डर ऑफ नेशेसरी पार्टीज के दोष के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः दावा वादीगण खारिज किया जावे।

दावा एवं जवाबदावा की प्लीडिंग के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादीगण विवादित आराजी वर्णित मद सं0 2 वादपत्र के मुताबिक मद सं0 12 'अ' अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं ?

—वादीगण

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

2. आया वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं ?

—वादीगण

3. आया वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 7 तहसीलदार डीग को नोटिस हस्ब दफा 80 जा0दी0 दावा दायरी से पूर्व नहीं दिया है, इसलिए दावा वादीगण मेन्टिनेबिल नहीं है ?

—प्रतिवादीगण

4. आया दावा वादीगण नॉन जोइन्डर ऑफ नेशेसरी पार्टीज के दोष के कारण खारिज किये जाने योग्य है ?

—प्रतिवादीगण

5. दादरसी

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बंधा चौथ सम्वत् 2067 से 2070 प्रदर्श पी.[1] व नकल मिशिल हकीकत प्रदर्श पी.[2] नकल नामान्तरण संख्या प्रदर्श पी.[3], नकल साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2069 प्रदर्श पी.[4], नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी.[5], नकल बयनामा दिनांक 08.02.1979 प्रदर्श पी.[6] पेश किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में वादी किशनसिंह बयान पी.डब्ल्यू.[1] गवाह निरंजनसिंह के बयान पी.डब्ल्यू.[2] दर्ज कराकर अपनी साक्ष्य पूर्ण की। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा के समर्थन में बयान प्रतिवादी भीमसिंह डी.डब्ल्यू.[1] व गवाह नन्नूसिंह व रामवीर ने अपने बयान डी.डब्ल्यू.[2] व डी. डब्ल्यू.[3] दर्ज कराकर अपनी साक्ष्य पूर्ण की तथा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए।

पक्षकारान की साक्ष्य पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि आराजी ख0नं0 343/2.13 बाकै ग्राम बंधा चौथ तहसील डीग जो साबिक आराजी ख0नं0 420/19–3 बाकै ग्राम बंधा चौथ तहसील डीग पूर्व में प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण सं0 3 के पिता मृतक सुन्दर तथा प्रतिवादीगण सं0 4 के पति व प्रतिवादीगण सं0 5 व 6 के पिता लक्ष्मन पुत्रगण छीतरिया के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिस पर उक्त हरी, बिजेन्द्र, सुन्दर व लक्ष्मन पुत्रगण छीतरिया का ब0हि0ब0 कब्जा बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा था। दिनांक 08.02.1979 को उक्त हरी, लक्ष्मन, सुन्दर व

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

बिजेन्द्र पिस0 छीतरिया ने उक्त साबिक ख0नं0 420 में से हिस्सा 85/383 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा को वादीगण सं0 1 लगायत 4 के पिता एवं पति अतरसिंह पुत्र मोहनलाल तथा वादी सं0 5 प्रतापसिंह तथा वादीगण सं0 6 लगायत 8 के पिता व पति लक्ष्मन पुत्र मोहनलाल तीनों भाईयों को हिस्सा 3/4 व0हि0ब0 तथा वादीगण सं0 9 व 10 को हिस्सा 1/4 विक्रय कर दिया। मौके पर दखल व कब्जा क्रेतागण को दे दिया और तभी से अर्थात् क्रय करने के बाद से ही उक्त साबिक नं0 420 में से हिस्सा 85/383 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा पर वादी सं0 5 स्वयं तथा वादीगण सं0 1 लगायत 4 के पिता एवं पति अतरसिंह तथा वादीगण सं0 6 लगायत 8 के पिता एवं पति लक्ष्मन का कब्जा हिस्सा 3/4 पर चला आ रहा था तथा हिस्सा 1/4 पर वादी सं0 9 व 10 का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण सं0 1 लगायत 4 के पिता एवं पति अतरसिंह पुत्र मोहनलाल व वादी स0 6 लगायत 8 के पिता एवं पति लक्ष्मन पुत्र मोहनलाल की मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु के बाद से उक्त आराजी के हिस्सा 1/4 पर वादीगण सं0 1 लगायत 4 का तथा हिस्सा 1/4 पर वादी सं0 5 का तथा हिस्सा 1/4 पर वादीगण सं0 6 लगायत 8 का तथा हिस्सा 1/4 पर वादीगण सं0 9 व 10 का कब्जा चला आ रहा है तथा इस वक्त मौके पर भी है। हाल बन्दोबस्त में साबिक आराजी ख0नं0 420/19-3 के बदले में दो नवीन नम्बरान 243/2.13 व 344/0.97 वाकै ग्राम बंधाचौथ तहसील डीग बनाये गये है जिनमे नवीन विवादित नं0 343/2.13 में वादीगण द्वारा क्रय की गई व कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी हिस्सा 85/313 अर्थात रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा जिसकी नवीन पैमाईश में आराजी 0.68 हैक्टे0 होती है, शामिल है। जिस पर मुताबिक साबिक वादीगण का कब्जा बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है तथा इस वक्त मौके पर भी विवादित ख0नं0 343/2.13 के रकबा हिस्सा 0.68 हैक्टे0 अर्थात् हिस्सा 68/213 पर वादीगण का ही कब्जा बतौर खातेदार काश्तकार है। बन्दोबस्त हाल में विवादित नं0 343/2.13 में से रकबा हिस्सा 68/213 का इन्द्राज काश्त वादीगण के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकित आना चाहिए था। चूँकि सन् 1980 में सैटिलमेन्ट कार्यवाही होने पर तथाकथित बयनामा का नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ। खिलाफ मौका व खिलाफ कानून व खिलाफ साबिक रिकॉर्ड वादीगण द्वारा क्रय की गई आराजी को प्रतिवादीगण के ही नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया है जबकि दौराने बन्दोबस्त, बन्दोबस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को ऐसा करने का कोई अधिकार किसी प्रकार से मुताबिक कानून नहीं था। प्रतिवादीगण ने उक्त बयनामा

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

को फर्जी होना वर्णित किया है इस संबंध में प्रतिवादीगण को एफ.आई.आर. या सिविल न्यायालय में वयनामा निरस्त एवं दावा में काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया। क्रयशुदा रकबा पर वादीगण का ही कब्जा है। बहस के समर्थन में कानूनी दृष्टांत आर.आर.डी. 1994 पेज 22 को उद्धित किया है। वादीगण ने ख0नं0 343 व 344 के सैटिलमेन्ट विभाग के दस्तावेजात पेश किये हैं यदि 344 के इन्द्राज होते तो प्रतिवादीगण बताते कि यह इन्द्राज हो गया है। वादीगण का ख0नं0 343 में कब्जा है 344 में कब्जा नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के प्रावधानों में दावा पेश करने में कोई स्याद नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में जो इन्द्राज काश्त व हक प्रतिवादीगण असल बावत् विवादित आराजी जो अंकित किया जा रहा है वह कतई गलत, खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है। प्रतिवादीगण असल विवादित आराजी के कब्जे काश्त वादीगण में जबरन मजाहमत व मदाखलत कर कब्जा नाजायज कर लेना चाहते हैं तथा विवादित आराजी का दीगर व्यक्तियों को रहन–वय–मुन्तकिल कर देना चाहते हैं। अतः विवादित आराजी ख0नं0 343/2.13 बाकै ग्राम बंधा चौथ के रकबा हिस्सा 68/213 अर्थात् 0.68 हैक्ट0 के हिस्सा 1/4 के हिस्सा वादीगण सं0 1 लगायत 4 व0हि0ब0 तथा हिस्सा 1/4 का वादी सं0 5 तथा हिस्सा 1/4 के वादीगण सं0 6 लगायत 6 व0हि0ब0 तथा 1/4 के वादीगण सं0 9 व 10 का व0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा हाल रिकॉर्ड में इन्द्राज प्रतिवादीगण को कलमजन किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन–वय–मुन्तकिल न करें तथा कब्जेकाश्त वादीगण में मजाहमत व मदाखलत न करें। अतः वादीगण डिक्री किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि वादीगण द्वारा फर्जी वयनामा के आधार पर दावा पेश किया है जिसके आधार पर वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। वयनामा सही होता तो वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में होता। बन्दोबस्त कार्यवाही सन् 1985 में पूरी हो चुकी है जिसके पर्चा, लगान तथा कच्ची पर्ची व पक्की पर्ची जारी हो गई जिसकी जानकारी वादीगण को थी जिसको 28 वर्ष हो चुके हैं। दावा विलम्ब से पेश किया जाना प्रकट है। वयनामा के आधार पर वादीगण के पूर्वजों को नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होना बन्दोबस्त अधिकारियों की गलती बताना दोषपूर्ण कथन है। उक्त विवादित आराजी का राजस्व लगान प्रतिवादीगण द्वारा अदा किया गया है। साबिक आराजी के हाल ख0नं0 343

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

व 344 दो नम्बरन बने हैं वादीगण ने इस संबंध में कोई रिकॉर्ड, जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं कर सही तथ्यों को छुपाया है। तथाकथित वयनामा नितान्त फर्जी है वयनामा में किशनसिंह बालिग बता रहा है अन्दर याद नहीं है व फर्जी है वयनामा सही होता तो अभी तक दाखिला खारिज हो जाता। वादीगण व उनके पूर्वजों द्वारा लगान अदा नहीं किया गया है। उक्त आराजी पर किसान कार्ड प्रतिवादीगण द्वारा लिया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर स्वत्व आधिपत्य प्रतिवादीगण का है, वादीगण का नहीं है। अतः दावा वादीगण खारिज किया जावे।

पक्षकारान विद्वान अधिवक्ता की बहस पर हमने मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दावा का निर्णय तनकीवार निम्नानुसार किया जाता है :–

तनकी सं0 1– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक जमाबन्दी बाकै ग्राम बंधा चौथ सम्वत् 2027–2030 प्रदर्श पी.[4] के खाता संख्या 94 की प्रविष्टियों के अनुसार साबिक ख0नं0 420 रकबा 19 बीघा 3 विस्वा पर अन्य मजकूरान नम्बरान के साथ सुन्दर पुत्र छीतरिया कौम फौजदार सा0देह खातेदार दर्ज होना स्पष्ट है। प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 221 के अनुसार जरिये विभाजन साबिक खसरा नम्बरान 420/19–3 बीघा पर अन्य नम्बरान के साथ कॉलम सं0 11 में सुन्दर, लक्ष्मन, हरी, विजेन्दर पिस0 छीतरिया कौम फौजदार व0हि0ब0 सा0देह खातेदार दर्ज होना स्पष्ट है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रति वयनामा दिनांक 08.02.1979 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित साबिक ख0नं0 420/19–3 बीघा का हिस्सा 85/383 यानि 4 बीघा 5 विस्वा हिस्सा खातेदारान सुन्दर, लक्ष्मन, हरी, विजेन्दर पिस0 छीतरिया कौम फौजदार ने वादीगण के पूर्वज प्रतापसिंह, अतरसिंह व लक्ष्मनसिंह पिस0 मोहनलाल व0हि0ब0 हिस्सा 3/4 व जलसिंह, किशनसिंह पिस0 चेतनसिंह व0हि0ब0 हिस्सा 1/4 को विक्रय किया गया है। उक्त वयनामा उपपंजीयक डीग द्वारा पंजीकृत किया गया है। जिसकी विश्वसनीयता पर कोई सन्देह प्रकट नहीं होता है। प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी.[5] साबिक ख0नं0 420 मि0 रकबा 19–3 बीघा से नवीन ख0नं0 343/2.13 हैक्टे0 बनाया जाना स्पष्ट है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल खतोनी जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग सम्वत् 2040 प्रदर्श पी.[2] के अनुसार खसरा नं0 343/2.13 व 344/0.97 पर उक्त विक्रेतागण दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

हिस्सा अनुसार खातेदार दर्ज हैं। उक्त इन्द्राज से वादीगण के वादपत्र के कथन की पुष्टि होती है तथा इसी आधार पर प्रस्तुत नकैल जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 प्रदर्श पी/1 के अनुसार विवादित ख0नं0 343/2.13 हैक्टे0 पर प्रतिवादीगण की हिस्सा अनुसार खातेदारी दर्ज है। जबकि मुताबिक वयनामा दिनांक 08.02.1979 के आधार पर साबिक ख0नं0 420/19–3 बीघा से बने नवीन ख0नं0 343/2.13 पर वादीगण की खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक प्रतिवादीगण के कथनानुसार तथाकथित वयनामा फर्जी होने का प्रश्न है इस संबंध में प्रतिवादीगण ने उक्त वयनामा को निरस्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोही विधिवत् नहीं की है और न ही प्रतिवादीगण ने इस दावे में अपना कोई काउन्टर क्लेम पेश किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर वादीगण साबिक क्रयशुदा रकबे से बने नवीन नम्बर पर वयनामा में दर्ज हिस्सा 65/393 अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी साबित होते हैं। अतः इस तनकी का निर्णय व हक वादीगण किया जाता है।

तनकी सं0 2– तनकी संख्या 1 के निर्णय में वादीगण विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार वादीगण विवादित आराजी के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत न करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः यह तनकी व हक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 3 व 4– तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय व हक वादीगण होने की स्थिति में इन तनकीयातों का पृथक से कोई निर्णय किया जाना उचित नहीं है।

दादरसी– तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय व हक वादीगण होने पर वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि –

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड से प्रमाणित होने पर दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी ख0नं0 343/2.13 हैक्टे0 बाकै ग्राम बघा चौथ तहसील डीग के रकबा हिस्सा 68/213 अर्थात् रकबा 0.63 हैक्टे0 के हिस्सा 1/4 के वादीगण संख्या 1 लगायत 4 व0हि0व0 तथा हिस्सा 1/4 का वादीगण संख्या 5/1 लगायत 5/5

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

व0हि0ब0 तथा हिस्सा 1/4 के वादीगण संख्या 6 लगायत 8 व0हि0ब0 तथा हिस्सा 1/4 के वादीगण संख्या 9 व 10 व0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त सीमा तक विवादित रकबा पर राजस्व रिकॉर्ड में हाल इन्द्राज प्रतिवादीगण कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण के उक्त रकबा के कब्जेकाश्त में मजामहत व मदाखलत न करें। शेष इन्द्राज याथावत रहेंगे। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

आदेश आज दिनांक 07.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

उप खण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर) राज.

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवादी)

(Civil Procedure Code Appendix "D" I)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर)डीग(भरतपुर) राज0

व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

मु0सं0 257 / 2012 राजस्व वाद

1. मानसिंह
2. नीरज
3. सोनू पिस0 अतरसिंह
4. श्रीमती सरोज देवी पत्नी अमरसिंह
5. प्रतापसिंह पुत्र मोहनलाल (मृतक)

5/1– महेन्द्रसिंह

5/2– बबलू पिस0 प्रतापसिंह

5/3– चन्द्रवती बेवा प्रतापसिंह जातियान जाट नि0 ग्राम नरैना कटता तहसील डीग

5/4– राधादेवी पुत्री प्रतापसिंह पत्नी योगेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम ककुआ जिला आगरा (उ0प्र0)

5/5– रेखादेवी पुत्री प्रतापसिंह पत्नी जीतेन्द्र निवासी फतेहपुर सीकरी तहसील किरावली जिला आगरा (उ0प्र0)

6. रघुनाथ
7. लोकश पिस0 लक्ष्मन
8. श्रीमती किन्नो बेवा लक्ष्मन
9. जल सिंह
10. किशनसिंह पिस0 चेतन सिंह जातियान जाट निवासी नरैना कटता तहसील डीग

–वादीगण

बनाम

1. हरी
2. बिजेन्द्र पिस0 छीतरिया
3. मेदी पुत्र सुन्दर
4. बलवीरी पत्नी लक्ष्मन (मृतक)
5. भीमसिंह पुत्र लक्ष्मन
6. रन्नो पुत्र लक्ष्मन जातियान फौजदार निवासी ग्राम बंधाचौथ तहसील डीग

–असल प्रतिवादीगण

7. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तहसील डीग प्रतिनिधि राजस्थान सरकार
8. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डीग जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय
9. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा डीग जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय

दावा बावत् उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

वह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता मिनजानिब पक्षकारान मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड से प्रमाणित होने पर दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी ख0नं0 343/2.13 हैक्टे0 वाकै ग्राम बंधा चौथ तहसील डीग के रकबा हिस्सा 68/213 अर्थात् रकबा 0.68 हैक्टे0 के हिस्सा 1/4 के वादीगण संख्या 1 लगायत 4 व0हि0ब0 तथा हिस्सा 1/4 का वादीगण संख्या 5/1 लगायत 5/5 व0हि0ब0 तथा हिस्सा 1/4 के वादीगण संख्या 6 लगायत 8 व0हि0ब0 तथा हिस्सा 1/4 के वादीगण संख्या 9 व 10 व0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त सीमा तक विवादित रकबा पर राजस्व रिकॉर्ड में हाल इन्द्राज प्रतिवादीगण कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण के उक्त रकबा के कब्जेकाश्त में मजामहत व मदाखलत न करें। शेष इन्द्राज याथावत रहेंगे। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

आज ....मुवलिंग.. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व भाहर...को सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक...को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में आज तारीख 07.02.2018 माह..........................सन्.......................... को जारी की गई।

दस्तखत..............................

मुह[illegible]

ओहदा उप खण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर)

मीजान		रूपया	पैसे	मुद्दालय			
स्टाम्प अर्जीदावा	.....	2		स्टाम्प वकालतनामा	.....		
स्टाम्प वकालतनामा	.....	2		स्टाम्प अरजी	.....		
स्टाम्प बजह सबूत	.....			महनताना वकील)पर	.....		
महनताना वकील)पर	.....			खर्चा गवाहान	.....		
खर्चा गवाहान	.....			फीस कमिश्नर	.....		
[illegible] कमिश्नर	.....			बाबत इजराय हुक्मनामा	.....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	.....			मुतफरिक	.....		
मुतफरिक	.....	2					
मीजान	.....			मीजान	.....		